

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिला न्यायाधीश,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग:-1

देहरादून, दिनांक: 22 अगस्त, 2017

विषय: श्री राजीव मोहन बिरखानी, अधिवक्ता/नोटरी, तहसील लालकुआँ, जिला नैनीताल के नोटरी प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-19/चौदह-1-2013 दिनांक 12.01.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राजीव मोहन बिरखानी, अधिवक्ता/नोटरी, तहसील लालकुआँ, जिला नैनीताल के नोटरी प्रमाण पत्र सं0-29(10)/2010 का नवीनीकरण दिनांक 16.06.2015 से अग्रिम पांच वर्षों तक के लिए कर दिया गया है। नवीनीकृत नोटरी प्रमाण-पत्र सम्बन्धित नोटरी को हस्तगत किये जाने हेतु संलग्न है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या : 06 / नो0एल0 / XXXVI(1)/2017-5 नो0एल0 / 2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. श्री राजीव मोहन बिरखानी, नोटरी/अधिवक्ता, ग्राम जग्गीबंगर, पो0 हल्द्वचौड़, निकट कारगिल शहीद चन्दन फिलिंग स्टेशन, बरेली रोड़, तहसील लालकुआँ, जिला नैनीताल।
4. गार्ड फाईल/एन0आई0सी।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव